हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/08/25 APO उप./अभि. मय अधि. उप./ P.O. साहब आज अवकाश पर पधारे है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 14/08/25 को पेश हो। अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स.02 केकड़ी, जिला-अजमेर (राज.)	ओमप्रकाश भैरूसिंह पुखराज
14/08/25 APO उप./अभि. ओमप्रकाश व पुखराज उप./अभि. भैरूसिंह अनु. जिसकी हा.मा. की दर. जरिये अधि. पेश हुई जो आज के लिए स्वी. की जाती है। बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रा. वास्ते बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 19/8/25 को पेश हो। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2 केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान)	ओमप्रकाश पुखराज
19/08/25 APO उप./अभि. अनु. जिसकी हा.मा. की दर. जरिये अधि. पेश हुई जो आज के लिए स्वी. की जाती है। बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र के दिनांक 20/08/2025 को पेश हो। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2 केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान)	

फर्द अहकाम

नियम – 26

अज अदालत :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, केकड़ी
प्र.सं. 518/16
सी.आई.एस. सं. 518/16
सरकार बनाम भैरूसिंह वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनकी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किय गया। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 242(2) दं.प्र.सं. व 65 साक्ष्य अधिनियम सुनी गई। प्रार्थी/गवाह शैलेंद्र कुमार द्वारा जरिए अभियोजन अधिकारी यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि गवाह पीड–2 शैलेंद्र कुमार की मुख्य परीक्षा पूर्व में दिनांक 19.02.2025 को दस्तावेज पेश करने के संबंध में डेफर की गयी थी, जिसमें गवाह आज पीओए प्रति जिसकी मूल गवाह ने प्रमाणित कर, अभियुक्तगण को उपलब्ध करवायी थी, जिस पर फर्जी रूप से गवाह शैलेंद्र कुमार की नोटरी सील बनाकर फोटो लगाकर उस पर सील लगाकर चस्पा कर दी। इसी प्रकार पेज नं. 1 व 2 पर भी उक्त व्यक्तियों ने फर्जी सीले बनाकर चस्पा कर दी, जिसकी जानकारी होते ही गवाह द्वारा प्रति आई.ओ. को दिया जाना जाहिर किया, परंतु वह पत्रावली पर नहीं होने से स्वयं गवाह द्वारा आज मूल की प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित पेश की जा रही है, जिसकी कूटरचित मूल प्रदर्श पी–21 पत्रावली पर पहले से उपलब्ध है, की तुलना किए जाने हेतु प्रति को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में है। अतः निवेदन है कि पीओए की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जावे। इसके विपरीत, अधिवक्ता अभियुक्त ओमप्रकाश ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अभियोजन जो तथ्य इस पार्थना पत्र में लेकर आया है, वह अभियोजन का केस ही नहीं है तथा गवाह परिवादी नहीं है, अपितु केवल साक्ष्य में परीक्षित हुआ है। विधितः भी नोटेरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटेरी पब्लिक को द्वितीय प्रति दस्तावेज की रखने का कोई प्रावधान नहीं है तथा किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी ना तो साक्ष्य में ग्राह्य है तथा न ही ऐसी कोई साक्ष्य है कि वह मूल के तैयार होने के बाद उसकी फोटोकॉपी करके तैयार की गयी है। दस्तावेज को यदि रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो संपूर्ण केस का नेचर बदल सकता है तथा इस स्टेज पर नए ट्रायल की अनुमति देना अभियुक्त के साथ अन्याय होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2 केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान)	

दौराने बहस, अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए पीओए की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाने व प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मूल दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी मे प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त दस्तावेज के पेज नं. 1 व 2 पर अभियुक्तगण ने शैलेंद्र कुमार के नाम से फर्जी नोटेरी सीले बनाकर चस्पा कर दी। प्रार्थी/गवाह ने यह भी कथन किए हैं कि वह उक्त मूल दस्तावेज की फोटोप्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर पेश कर रहा है, जिसे रिकॉर्ड लिए जाने का निवेदन किया गया। अब यदि पत्रावली पर उपलब्ध मुल दस्तावेज का अवलोकन किया जावे तो उसके पैज नं. 1 पर एक से अधिक नोटेरी की सीले अंकित है, जबकि प्रार्थी द्वारा पेश फोटोकॉपी पर पेज नं. 1 पर मात्र एक ही सील अंकित है। प्रार्थी/गवाह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मात्र एक फोटोकॉपी है, जिसका मूल दस्तावेज पहले से ही पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित भी कराया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा जिस दस्तावेज की फोटोप्रतिं प्रस्तुत की गयी है वह फोटोकॉपी मूल दस्तावेज के किसी भी स्तर पर की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फोटोकॉपी होने के कारण उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गवाह शैलेंद्र जैन के धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों का यदि अवलोकन किया जावे तो वे न्यायालय में दिए गए बयानों से भिन्न है तथा जिस तथ्य को गवाह ने दौराने बयान न्यायालय में कथित किया है, उसके संबंध में धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत कोई कथन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फोटोकॉपी को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप, उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 242(2) दं.प्र.सं. व 65 साक्ष्य अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

गवाह शैलेंद्र कुमार को जमानती वारण्ट 1000/– से तलब किया जावे। प्रकरण टारगेटेड केस नं. 6 है, जिनमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण किए जाने के आदेश दिए गए हैं। अतः वारण्ट पर नोट अंकित किया जावे कि तामील हर सूरत में करवायी जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 27.08.2025 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2
केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/08/25 APO उप०/अभि० पुखराज, ओमप्रकाश मय अधि० उप०/अन्य अभि० भैरूसिंह अनु० जिसकी हाजरी माफी की दर० जरिये अधि० पेश हुई जो आज के लिए स्वी० की जाती है। गवाह उप० नहीं। गवाह शैलेन्द्र कुमार, व गवाह सं. 6, 7, 9, 15, 17 को जरिये जमानती वारण्ट 1000/- तलब किया जावे। तामील पर लाल स्याही से नोट अंकित हो कि प्रकरण Target Case No. ⑥ है. तामील हस्बसुरत के करावें। B/W की एक प्रति SP AJMER को भी भेजी जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन के दिनांक 30/08/2025 को पेश हो। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2 केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान)	पुखराज ओमप्रकाश